ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, मंगलवार 17 सितम्बर 2024

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 1 अंक 195

केजरीवाल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा

आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया; भाजपा बोली- मेकओवर से दाग नहीं छुपेंगे

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम करीब 4.45 बजे उपराज्यपाल (LG) विनय सक्सेना को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। सत्ता परिवर्तन पर भाजपा ने कहा कि मेकओवर ने AAP के दाग नहीं छुपेंगे।

इससे पहले आतिशी मार्लेना को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर विधायकों ने सहमति जताई।

दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान करते हुए कहा- हमने विषम परिस्थितियों में यह फैसला लिया है। केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। जनता जब तक उन्हें नहीं चुनती, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे।

आतिशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, 'मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझे बधाई मत दीजिएगा, माला मत पहनाइएगा, मेरे लिए, दिल्लीवालों के लिए दुख की घड़ी है कि चहेते मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे।'

इस बीच, AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, 'जिसके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी, उसे आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। दिल्ली के लिए आज बहुत दुख का दिन है।'

13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, 'अब जनता तय करे कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान। जनता ने दाग धोया और विधानसभा चुनाव जीता तो फिर से कुर्सी पर बैठूंगा।'

आतिशी बोलीं- ये हमारे लिए दुख का क्षण

आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्र सरकार ने दुष्प्रचार किया, फर्जी आरोप लगाए। केंद्र ने अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ दिया। 6 महीने जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की तीखी टिप्पणी भी की। कोई और व्यक्ति होता तो वह तुरंत सीएम की कुर्सी पर बैठ गया होता। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता का फैसला मानूंगा। ये हमारे लिए दुख का क्षण है। दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि अगले चुनाव में वे केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे।

पीयूष गोयल बोले- सीएम बदलने से भाग्य नहीं बदलने वाला

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बदल दिया है, इससे आम आदमी पार्टी का भाग्य नहीं बदलने वाला। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अनिच्छा से सीएम बनाया। मनीष सिसोदिया के दबाव के कारण वे मनचाहा सीएम नहीं बना पाए। मनीष सिसोदिया के कारण ही उन्हें सारे विभाग दिए गए। उनके दबाव में ही आतिशी को सीएम बनाया गया है। चेहरा बदल गया है लेकिन भ्रष्ट चरित्र जस का तस है और दिल्ली की जनता जवाब मांगेगी..."

सुप्रीम कोर्ट बोला- महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सरकार का काम:उन्हें नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते; विकीपीडिया ट्रेनी डॉक्टर की तस्वीरें हटाए

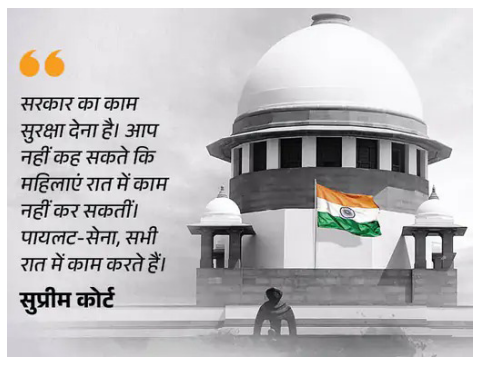

24 न्यूज अपडेट

कोलकाता. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (17 सितंबर) को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर बंगाल सरकार को फटकार लगाई।

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकतीं? उन्हें कोई रियायत नहीं चाहिए। सरकार का काम उन्हें सुरक्षा देना है। पायलट, सेना जैसे सभी प्रोफेशन में महिलाएं रात में काम करती हैं।

कोर्ट की फटकार पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बंगाल सरकार की तरफ से कहा कि सरकार महिला डॉक्टरों की ड्यूटी 12 घंटे तक सीमित करने और नाइट ड्यूटी पर रोक लगाने वाले अपने फैसले वापस ले लेगी।

कोर्ट ने विकिपीडिया को मृत ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 24 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा।

CJI बोले- अस्पतालों में 18-23 साल की डॉक्टर्स काम कर रहीं, वहां पुलिस होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट एजेंसियों के सुरक्षाकर्मियों की नियुक्त पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम रहे लोगों को 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और वे पूरे अस्पताल में घूमते हैं। इनके जरिए सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि रेप-मर्डर मामले का मुख्य आरोपी भी एक सिविक वॉलंटियर ही है। बंगाल में 28 सरकारी अस्पताल हैं। वहां 18-23 साल की युवा डॉक्टर काम कर रही हैं। राज्य के 45 मेडिकल कॉलेजों में लड़कियां 12वीं कक्षा के बाद आती हैं। वे बहुत छोटी हैं। उनमें इंटर्न भी हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती पूरी तरह से असुरक्षित है।

CJI ने कहा कि राज्य सरकार को सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पुलिस बल तैनात करना चाहिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भी प्रोग्रेस काफी स्लो है। वहां 415 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाने की मंजूरी मिली है, लेकिन अब तक सिर्फ 36 लगे हैं।

कोलकाता रेप-मर्डर केस, ममता सरकार ने पुलिस कमिश्नर को हटाया:विनीत गोयल की जगह मनोज वर्मा होंगे कमिश्नर; मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डायरेक्टर भी बदले

24 न्यूज अपडेट

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया है। उनकी जगह मनोज वर्मा लेंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर समेत स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर को हटाने की मांग की थी।

स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉ. कौस्तुव नायक को स्वास्थ्य-परिवार कल्याण का डायरेक्टर बनाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर डॉ. देबाशीष हलदर को पब्लिक हेल्थ का OSD बनाया गया है। त्रिपुरारी अथर्व को DEO का डायरेक्टर चुना गया है।

इसके अलावा 5 और पुलिस अधिकारियों के पद भी बदले गए हैं। जावेद शमीम ADG कानून व्यवस्था, विनीत गोयल ADG और IG स्पेशल टास्क फोर्स, ज्ञानवंत सिंह ADG और IG इंटेलीजेंस ब्यूरो, दीपक सरकार नॉर्थ कलेक्टर, अभिषेक गुप्ता CO ईएफआर सेकंड बटालियन का नाम शामिल है।

16 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बैठक हुई थी। इसके बाद ममता ने कहा था कि उन्होंने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगें मान ली हैं। CM ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा था वे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी।

हालांकि, डॉक्टरों का प्रदर्शन मंगलवार को 39वें दिन भी जारी है। वे अधिकारियों को हटाने के औपचारिक आदेश और सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई का इंतजार कर रहे थे।

CJI के घर जाने पर पहली बार बोले PM:कहा- गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का, सत्ता के भूखों को परेशानी हुई

24 न्यूज अपडेट

भुवनेश्वर . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजन में शामिल हुए थे। इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया था। PM ने मंगलवार को अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में इसका जवाब दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा- 'गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटों और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर अपनी मां को भी याद किया। उन्होंने कहा, 'आज आदिवासी परिवार के पीएम आवास पर गया था। हर साल जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लेने जाता था, वो मुझे गुड़ खिलाती थीं। आज मां नहीं हैं, लेकिन इस बार एक आदिवासी मां ने मुझे खीर खिलाई।'

प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे भुवनेश्वर पहुंचे। यहां राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना शुरू की। साथ ही 800 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

श्रीकृष्ण-जन्मभूमि विवाद, SC से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं:हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य; हाईकोर्ट के इस फैसले को दी थी चुनौती

24 न्यूज अपडेट

मथुरा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर स्टे नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा- मुस्लिम पक्ष गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट गया। हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया था। पहले इनको (मुस्लिम पक्ष) हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा- इस दौरान मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल कर सकता है।

दरअसल, 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। कोर्ट का कहना था कि सभी याचिकाएं एक नेचर की हैं। एक साथ सुनी जाएंगी।

हालांकि, मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनने योग्य नहीं है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 6 अगस्त को हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की थी।

कहा था- हमें सुने बिना मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर एकतरफा आदेश न दें। आज याचिका पर पहली बार सुनवाई हुई।

संपादकीय : धोखादेह दलीलें

हर अधिवक्ता अदालत में इसी संकल्प और तैयारी के साथ उतरता है कि वह अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलाएगा। वकालत के पेशे में नैतिक दायित्व भी यही होता है और इसी से वकील की साख बनती है। इसलिए हर वकील कानूनी बारीकियां और दलीलें पेश करते हुए अपने मुवक्किल के पक्ष को सही ठहराने का प्रयास करता है । अदालतें भी उन पर भरोसा करके चलती हैं। दरअसल, वकील अपने मुवक्किल और न्यायाधीश के बीच एक सेतु होता है। इस तरह कई बार न्यायाधीशों को भी वकीलों की जिरह से कानून की बहुत सारी बारीकियों समझने में मदद मिलती है। मगर वकील जब इस विश्वास के रिश्ते का फायदा उठा कर, जानबूझ कर अदालत की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं, तो उससे पूरी न्याय प्रक्रिया गुमराह होती और न्याय का रास्ता बाधित होता है । सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि वकीलों के झूठे बयानों से हमारा विश्वास डगमगा जाता है । सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि पिछले तीन- चार हफ्तों में सात-आठ ऐसे मामले सामने आए, जिसमें वकीलों ने झूठे बयान देकर अपने मुवक्किल की सजा माफ करने या उसमें छूट देने की गुहार लगाई। कानून में यह प्रावधान है कि किसी दोषी के अच्छे आचरण और खराब स्वास्थ्य आदि के मद्देनजर उसकी सजा कम या खत्म की जा सकती है। मगर उसके लिए न्यूनतम अवधि की सजा काटना जरूरी होता है। इसी तरह कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से कैदियों को कुछ दिन फरलो पर बाहर रहने की इजाजत दी जा सकती है। इन्हीं प्रावधानों का लाभ उठाते हुए कुछ वकील अपने मुवक्किल को समय से पहले सलाखों से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने जिन मामलों का संज्ञान लिया, उनमें देखा गया कि वकीलों ने झूठे बयान और दलील देकर सजा माफी की गुहार लगाई। एक मामले में सजायाफ्ता चार कैदियों को लेकर कहा गया कि वे चौदह वर्ष की सजा काट चुके हैं। यह भी बताया गया कि चारों को हत्या के मामले में सजा दी गई थी। मगर अदालत को पता चला कि उन्होंने न केवल चौदह वर्ष की सजा पूरी नहीं की थी, बल्कि चारों को अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था । इसी तरह एक मामले में बताया गया कि फरलो पर बाहर गए सभी कैदियों की फरलो अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही अन्य मामले देखे गए। निस्संदेह इस प्रवृत्ति से न्यायिक शुचिता प्रश्नांकित होती है। हालांकि इस संदर्भ में यह भी चिंताजनक है कि जघन्य अपराध के दोषियों को समय से पहले सलाखों से बाहर निकालने की प्रवृत्ति पैदा कहां से हुई है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे प्रसंग सामने आए हैं, जिनमें राज्य सरकारों ने हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में सजायाफ्ता लोगों की सजा माफी की सिफारिश की कुछ अपराधियों को बार-बार फरलो दी गई। समझना मुश्किल नहीं है कि इस राजनीतिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार का विस्तार हुआ है। फिर, वकालत के पेशे में भी नैतिकता का प्रकट ह्रास हुआ है। निचली अदालतों में फैसलों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति भी जड़ें जमा चुकी है। इसलिए झूठे दस्तावेजों और बयानों के बल पर अधिवक्ता अगर अदालतों को 'गुमराह करते देखे जा रहे हैं, तो हैरानी की बात नहीं। अच्छी बात है कि शीर्ष अदालत ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कुठाराघात किया। शायद आगे ऐसे झूठ और फरेब पर नकेल कसे।

अंधविश्वास की परतें

जिस दौर में विज्ञान रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है, नई तकनीकी समाज के हाशिये के तबकों तक पहुंचाई जा रही है, वैसे में महज कल्पना या अंधविश्वासों की वजह से किसी को बर्बरता से पीट-पीट कर मार डालने की घटनाएं विकास के तमाम दावों पर सवालिया निशान लगाती हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक गांव में रविवार को तीन महिलाओं सहित पांच आदिवासियों की इसलिए पीट-पीट कर हत्या कर दी गई कि उन पर लोगों को यह शक था कि वे जादू-टोना करके दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह, कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के हरिसारा गांव में दो आदिवासी महिलाओं को जादू-टोना करने के संदेह में स्थानीय लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला। महज गलत धारणाओं की वजह से हुई हत्या की इन घटनाओं के बाद पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों से ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं? इस तरह की घटनाओं के वक्त ऐसा करने वालों के भीतर कहीं भी कानून का खौफ दिखाई नहीं देता है। मगर जब ऐसा कोई मामला तूल पकड़ लेता है, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई की औपचारिकता पूरी करती दिखती है। यह छिपा नहीं है कि आज भी बहुत सारे लोग कई तरह के अंधविश्वासों का शिकार होकर जादू- टोना जैसी झूठी आशंकाओं के प्रभाव में आकर आपराधिक वारदात को भी अंजाम देते हैं। विडंबना है कि ऐसी धारणाओं के शिकार कई बार पढ़े-लिखे कहे जाने वाले या शहरी लोग भी होते हैं। संविधान में जहां वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के प्रावधान मौजूद हैं, वहां इस दिशा में सरकार की ओर से बहुत कम ठोस प्रयास देखे जाते हैं। खासकर वैसे तबकों के बीच शिक्षा के साथ वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की जरूरत है, जो किसी भी अभाव, परेशानी, बीमारी आदि की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति पर जादू-टोना करने का शक करते और तांत्रिकों के उकसावे में आकर उन्हें मार डालने से भी नहीं हिचकते । शायद बाद में कानूनी कार्रवाई का सामना करते हुए उन्हें अपने किए पर पछतावा होता हो ।

बुलडोजर पर चल गया सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा, कहा- हमारी इजाजत बिना तोड़फोड़ नहीं होगी

सरकार ने कहा-हमारे हाथ मत बांधिये तो कोर्ट ने कहा कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा, 1 अक्टूबर तक एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, दो टूक कहा-अधिकारी जज नहीं बन सकते, उदयपुर का मामला भी छाया रहा

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आज जबर्दस्त फैसला सुनाते हुए 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। साथ ही स्पष्ट किया कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस पर बोली- - अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा? कोर्ट धाराणाओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम साफ कर दे रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो यह संविधान के खिलाफ है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह निर्देश विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कथित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय की। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वैधानिक अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। हालांकि, पीठ ने नरमी बरतने से इनकार करते हुए कहा कि अगर दो सप्ताह तक तोड़फोड़ रोक दी जाए तो "आसमान नहीं गिर जाएगा"। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "अपने हाथ थाम लीजिए। 15 दिनों में क्या होगा?" पीठ ने कहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश पारित किया है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा, "यदि अवैध विध्वंस का एक भी उदाहरण है, तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध है।" न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे... लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती।" सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कहा कि पिछली सुनवाई में न्यायालय द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त किए जाने के बावजूद तोड़फोड़ जारी है। उन्होंने कहा कि एक पक्ष पर पथराव का आरोप लगाया गया था और उसी रात उसका घर गिरा दिया गया। एक मामले का हवाला देते हुए एसजी मेहता ने कहा कि पार्टियों को 2022 में ही तोड़फोड़ के लिए नोटिस भेजे गए थे और इस बीच उन्होंने कुछ अपराध किए। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ और अपराधों में आरोपियों की संलिप्तता का आपस में कोई संबंध नहीं है। हालांकि, पीठ ने सवाल किया कि 2024 में अचानक संपत्तियों को क्यों ध्वस्त किया गया। यह व्यक्त करते हुए कि न्यायालय अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए शक्ति के दुरुपयोग की जांच करने के लिए दिशानिर्देश बनाने पर आमादा है, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, "अगली तारीख तक, अदालत की अनुमति के बिना विध्वंस पर रोक होनी चाहिए।" एसजी ने कहा कि एक "कथा" बनाई जा रही है कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। एसजी ने कहा, "कथा ने आपके आधिपत्य को आकर्षित किया है।" न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि "बाहरी शोर" न्यायालय को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, "बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर रहे हैं। हम इस समय इस सवाल पर नहीं जाएंगे कि... कौन सा समुदाय...इस बिंदु पर है। यहां तक कि अगर अवैध विध्वंस का एक भी उदाहरण है, तो यह संविधान के लोकाचार के खिलाफ है।" पीठ ने यह भी कहा कि उसके पिछले आदेश (जिसमें उसने दिशानिर्देश निर्धारित करने की मंशा व्यक्त की थी) के बाद मंत्रियों द्वारा कुछ बयान दिए गए थे। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "आदेश के बाद, बयान आए हैं कि बुलडोजर जारी रहेगा..." न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, "2 सितंबर के बाद, इस मामले में जोरदार तरीके से तर्क दिए गए और इसे उचित ठहराया गया। क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए? हम निर्देश तैयार करेंगे।" याद रहे कि पिछली तारीख पर न्यायालय ने अखिल भारतीय स्तर पर दिशा-निर्देश बनाने की मंशा जाहिर की थी , ताकि इस चिंता का समाधान किया जा सके कि कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिराने का सहारा ले रहे हैं। इस उद्देश्य से, पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिस पर न्यायालय विचार कर सकता था। आदेश के बाद, जमीयत उलमा ए हिंद ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिनके बारे में अधिक जानकारी यहाँ पढ़ी जा सकती है ।

यह है मामला

दिल्ली के जहांगीरपुरी में अप्रैल 2022 में होने वाले ध्वस्तीकरण अभियान से संबंधित 2022 में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। अभियान पर अंततः रोक लगा दी गई, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने यह घोषित करने की प्रार्थना की कि अधिकारी दंड के रूप में बुलडोजर कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते। इनमें से एक याचिका पूर्व राज्यसभा सांसद और माकपा नेता वृंदा करात की थी, जिसमें अप्रैल में शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी क्षेत्र में तत्कालीन उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए ध्वस्तीकरण को चुनौती दी गई थी। सितंबर 2023 में जब मामले की सुनवाई हुई, तो वरिष्ठ अधिवक्ता दवे (कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए) ने राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि न्यायालय को ध्वस्त किए गए घरों के पुनर्निर्माण का आदेश देना चाहिए। ताजा घटनाक्रम में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकारियों द्वारा बुलडोजर/विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए दो आवेदन न्यायालय में दायर किए गए। इनमें से एक उदयपुर के एक मामले से संबंधित है , जहां एक व्यक्ति का घर इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि उसके किराएदार के बेटे पर अपराध का आरोप था। जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने अपनी ओर से तर्क दिया कि अप्रैल 2022 में दंगों के तुरंत बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई लोगों के घरों को इस आरोप में ध्वस्त कर दिया गया था कि उन्होंने दंगे भड़काए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसे ध्वस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए मामलों के तथ्यों के आधार पर कहा गया कि उल्लंघन के लिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन चूँकि संबंधित व्यक्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए नगरपालिका कानूनों के तहत प्रक्रिया के अनुसार अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जवाब में, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति का घर सिर्फ़ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा , "अगर वह अपराधी भी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता... कानून के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार ही घर गिराया जा सकता है।" इस विचार को आगे बढ़ाते हुए न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने टिप्पणी की, "एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है... तो यह सही तरीका नहीं है।"

सूर्यप्रकाश सुहालका बनो समाज के सबसे युवा अध्यक्ष

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। सुहालका कलाल महासभा उदयपुर के त्रेवार्षिक चुनाव रविवार रात सुहालका भवन सेक्टर-14 मे संपन्न हुए जिसमें अध्यक्ष पद पर सूर्य प्रकाश सुहालका अन्य चार में से अपने निकटतम उमीदवार बाबू लाल सुहालका को 150 से अधिक मतों से हराकर सुहालका समाज के सबसे युवा निर्वाचित अध्यक्ष बने। महामंत्री पद पर रजनीश सुहालका ने चमन सिंह सुहालका को 300 से अधिक मतों से एवं कोषाध्यक्ष पद पर समर्थ सुहालका ने दीपक सुहालका को सीधी टक्कर में 400 से अधिक मतों से पराजित किया। परिणाम आते ही सेंकड़ो समाजजन आतिशबाजी एवं जयकारे लगाते हुए विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओ से लाद दिया। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट त्रिलोक दशोत्तर ने अपनी टीम एडवोकेट प्रकाश टेलर ,एडवोकेट पी. आर. सालवी एवं अन्य के साथ यह चुनाव संपन्न करवाये। कार्यकारिणी की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि अब 23 सितम्बर

24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर, 17 सितम्बर। जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा (डूंगरपुर) में कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर से बढ़ाकर 23 सितम्बर कर दी हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथि आगामी 18 जनवरी 2025 निर्धारित की गई हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य अब्दुल अजीज ने बताया कि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अब 23 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन नवोदय वेबसाइट तथा पर किए जा सकते हैं। कक्षा 6 में दाखिले के लिए आवेदक किसी सरकारी, सरकारी मान्यता प्राप्त व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान सत्र 2024-25 में कक्षा 5 के डूंगरपुर जिले में अध्ययनरत होना चाहिए तथा डूंगरपुर जिले का निवासी हो। विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रमाण-पत्र जो की आवेदक एवं अभिभावक और विद्यालय के प्रधानाचार्य के मोहर हस्ताक्षर के साथ होना अनिवार्य हैं जो वेबसाइट पर अपलोड होगा।

स्वास्तिक ग्रुप के 9 दिवसीय गणपति महोत्सव में बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुतियां

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। अनंत चुतुर्दशी पर आज गणपति विसर्जन की धूम मची हुई है। इससे एक दिन पहले उत्सव के अंतिम दिन गणपति पांडालों में सांस्कृतिक महोत्सव की धूम रही जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। शक्तिनगर में स्वास्तिक गुरप की ओर से 9 दिवसीय गणपति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसका आज धूमधाम से समापन होगा। यह कार्यक्रम स्वास्तिक गुरप की ओर से पिछले 20 साल से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में शक्तिनगर सहित पूरे उदयपुर से आने वाले श्रद्धालु नियमित रूप से 9 दिन तक सुबह और शाम आरती कर रहे हैं। बच्चों के लिए फेन्सी ड्रेस, कठपुतली शो आदि के आयोजन हुए जिसमें उन्होंने शानदार प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर प्रतिदिन प्रथम पूज्य गणपतिजी का आकर्षक श्रृंगार भी किया जा रहा है। परसादी एवं भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। स्वास्तिक गुरप के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य बच्चों को हमारी संस्कृति से रूबरू कराने का प्रयास किया जाता है। आज गाजे-बाजे के साथ गणपति का अगले बरस जल्दी आने के अनुरोध के साथ विसर्जन किया जाएगा।

जलदाय विभाग के एक्सीईएन के घर से मिले 55 लाख, कल ढाई लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया था

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट.अलवर। रिश्वत लेते रोज सरकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता खुद पैसा देकर काम कराने में विश्वास करने लगी है और उसकी नजर में रिश्वत लेना अब अपराध नहीं रह गया है। उपर से नीचे तक ऐसा सरकारी तंत्र बना हुआ है कि जिसमें रिश्वत एक अनिवार्य दस्तूर बन गया है। सबको पता है कि हर सरकारी सिस्टम में पैसा चलता है और पैसा उपर तक पहुंचता है। जो कर्मचारी उस तंत्र का हिस्सा नहीं बन सकता उसको किसी कोने-खोपचे में ठंडी पोस्टिंग देकर बिठा दिया जाता हैं कई बार नेताओं को भी हिस्सा जाता है। ब्हरहाल, अलवर में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) दिव्यांक त्यागी को कल जयपुर एसीबी की टीम ने ढाई लाख की रिश्वत लेते पकड़ा था। एसीबी टीम ने त्यागी के अलवर स्थित अंबेडकर नगर के मकान पर छापा मारा तो 55 लाख से अधिक की नकदी बरामद हुई। त्यागी ने कमरे में अलग अलग थैलों, बिस्तर के नीचे सहित अन्य जगहों पर नोट छिपा कर रखे थे। यह रकम ठेकेदार का बिल पास करने के बदले लेने की शिकायत थी। कल ही त्यागी ठेकेदार विजय कुमार से रिश्वत लेते पकड़ा गया था। त्यागी ने करीब सवा करोड़ रुपए का बिल अटका दिया था। अपने हिस्से का 3 प्रतिशत कमीशन मांग रहा था। पहले डेढ़ लाख रुपए ले चुका था। एक्सईएन ने शिकायत करने वाले ठेकेदार को अंबेडकर नगर बस स्टैंड के पास बुलाया। एक्सईएन खुद स्कूटी से आया और ठेकेदार की गाड़ी से बैठ गया। यहां से एसीबी ने उसे एक लाख रुपए लेते धर दबोचा। अब उसके घर से बड़ी रकम जब्त की गई है। दिव्यांक त्यागी कई साल से अलवर में जमा हुआ है।

मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आठ हजार से अधिक युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री ने 5100 करोड़ के 920 कार्यों का किया शिलान्यास-उद्घाटन

24 न्यूज अपडेट

बीकानेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में 'मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव' जयपुर में मंगलवार को आयोजित हुआ। इस दौरान आठ हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। जिला मुख्यालय पर रवींद्र रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्मिकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद कर उनका उत्साह-वर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़े की शुरुआत की और मां वाउचर योजना का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने लगभग 5100 करोड़ रुपये की लागत के 920 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पीएम कुसुम योजना के तहत 5254 करोड़ रुपये की लागत से 608 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। नमस्ते योजना के लाभार्थियों को पीपीई किट भी वितरित किए गए। पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख 45 हजार लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए एवं 31 हजार लाभार्थियों का गृह प्रवेश हुआ। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर अध्यक्ष एवं विधि एवं विधिक कार्य विभाग मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की।

बीकानेर को दी विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री ने बीकानेर के 14.10 करोड़ रुपए की लागत के 13 कार्यों का शिलान्यास और 107.32 करोड़ रूपये की लागत के 45 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण किया। इस प्रकार उन्होंने 121.42 करोड़ रुपए के कुल 58 कार्यों का लोकार्पण अथवा शिलान्यास करते हुए बीकानेर को बड़ी सौगातें दी। रोजगार उत्सव के दौरान जिले से संबंधित शिक्षा विभाग के 99, वन विभाग के 80, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग 69, पशुपालन विभाग के 39, विधि विभाग के 5, सांख्यिकी के दो और स्वायत्त शासन विभाग के एक कार्मिक सहित कुल 295 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

चिकित्सा विभाग द्वारा सभी नवनियुक्तो का स्वागत किया गया। अलग-अलग काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कर उन्हें वेलकम किट दिया गया और हॉल में कार्यक्रम में भागीदारी हेतु बैठाया गया।

सीएमएचओ डॉ बामनिया ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बाउचर योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की निशुल्क सोनोग्राफी की जायेगी। चिकित्सा संस्थानों पर जांच हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओ को बाउचर दिया जायेगा जिससे वह सरकारी और चुनिंदा निजी सोनोग्राफी सेंटर पर निशुल्क जांच करवा सकेंगी।

डॉ बामनिया ने बताया कि कार्यक्रम को निर्बाध सफल बनाने के लिए चिकित्सा विभाग से सीएमएचओ द्वितीय डॉ जी एम सैयद, डिप्टी सीएमएचओ डॉ अंकित जैन, एडिशनल सीएमएचओ डॉ रागिनी अग्रवाल,आरसीएचओ डॉ अशोक आदित्य, डीपीएम, यूपीएम और कार्यालय से सभी कर्मचारी उपस्थित थे।

मां -बाउचर योजना का किया शुभारंभ

24 न्यूज अपडेट

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम में नवनियुक्तो से संवाद कर नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिले में 420 लोगों की विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा में नियुक्ति दी गई है। सभी विभागों से समन्वय कर नवनियुक्तो को सुखाडिया रंगमंच, टाउनहॉल में बुलाया गया।

सबके साथ से ही साकार होगा विकसित भारत का संकल्प - उदयपुर प्रभारी मंत्री, प्रधानमंत्री आवास लाभ हस्तांतरण व मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। उदयपुर जिले के प्रभारी तथा राजस्व व उपनिवेशन विभाग मंत्री श्री हेमन्त मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है। यह संकल्प देश के हर वर्ग के सहयोग से ही साकार होगा। इसके लिए सरकार समेकित विकास की दिशा में काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से जहां गरीब तबकों को ऊपर उठाने का प्रयास हो रहा है, वहीं आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से देश को प्रोडक्शन हब बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार भी काम कर रही है।

श्री मीणा मंगलवार को उदयपुर जिला स्थित सुखाड़िया रंगमंच सभागार में आयोजित जिला स्तरीय प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ हस्तांतरण, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। प्रभारी मंत्री श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए काम कर रही है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि जैसे कार्यों से जहां सामाजिक सुरक्षा को मजबूती दी जा रही है। वहीं राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत है।

समारोह को विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, जिला प्रमुख ममता कुंवर, जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

12980 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त हस्तांतरित

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उदयपुर और सलूम्बर जिलों के कुल 12 हजार 980 लोगों के खातों में पीएम आवास की प्रथम किश्त के 15000 रूपए के हिसाब से कुल 19 करोड़ 47 लाख रूपए हस्तांतरित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने सांकेतिक रूप से 10 लाभार्थियों को मंच पर शॉल ओढ़ा कर मिठाई भेंट करते हुए पीएम आवास के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इसी प्रकार अपना आवास पूर्ण कर चुके लाभार्थियों में से भी 10 का सांकेतिक रूप से मंच पर अभिनंदन करते हुए आवास पूर्णता प्रमाण पत्र तथा डेमो चाबी भेंट की गई। सीईओ श्री नागर ने बताया कि उदयपुर व सलूम्बर जिलों में अब तक कुल 1 लाख 53 हजार 104 पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं, इनमें से 1 लाख 51 हजार 616 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। इस वर्ष 2024-25 में कुल 13 हजार 881 पीएम आवास स्वीकृति का लक्ष्य हैं, इसके मुकाबले अब तक 12 हजार 980 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष आवास भी जल्द स्वीकृत कर दिए जाएंगे। श्री नागर ने बताया कि ब्लॉक व पंचायत स्तर पर भी पीएम आवास लाभ हस्तांतरण कार्य का सीधा प्रसारण किया गया। ब्लॉक व पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से स्वीकृति पत्र तथा पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

अवैध रिफिलिंग सेंटर पर रसद विभाग की बड़ी कार्यवाही - 31 घरेलू गैस सिलेंडर किये जब्त - 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर भी किये जब्त

24 न्यूज अपडेट

जयपुर, 12 सिंतबर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में रसद विभाग के प्रवर्तन जांच दल ने जयपुर के पालड़ी मीणा स्थित एक मकान में संचालित अवैध रिफिलिंग सेंटर कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला रसद अधिकारी श्री त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि प्रवर्तन दल ने मौके से 2 मोटर, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं 31 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किये हैं।

प्रवर्तन अधिकारी श्री अरविंद सिंह शेखावत बताया कि अवैध रिफिलिंग सेंटर में घरेलू गैस सिलेंडर से कार एवं ऑटो में गैस की अवैध रीफिलिंग की जाती थी। सूचना पर प्रवर्तन दल ने कार्रवाई करते हुए 15 खाली एवं 16 भरे सहित कुल 31 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किये हैं।

जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी गौरा मीणा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

उदयपुर में गणपति महोत्सव की धूम, नाचते-गाते किया बप्पा को विदा, अगले बरस जल्दी आने का लिया वचन

24 न्यूज अपडेट

10 दिन तक चले रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना के बाद अगले वर्ष दोबारा आने के साथ उनका विर्सजन कर दिया गया है।

मंगलवार को शहर के अलग-अलग स्थानों पर पूजा के लिए स्थापित की गई प्रतिमाओं की विसर्जन यात्राओं का आयोजन किया गया। गणपति बप्पा के जयकारों के साथ निकाली गई विसर्जन यात्रा में शामिल भक्तों ने नदी, तालाब और झील किनारे भगवान का पूजन कर उन्हें विसर्जित किया।

दिन भर चले इस विसर्जन के कार्यक्रम में सबसे भव्य विसर्जन शोभायात्रा एकमे सोसायटी की ओर से निकाली गई। उदयपुर शहर के धोल की पाटी स्तिथ एकमे सर्वोदय सोसायटी में स्थापित गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से किया गया। सुबह 11बजे के बाद ढोल के साथ निकाली गई शोभायात्रा में झूमते-नाचते भक्तों ने अबीर गुलाल की होली खेली। विसर्जन स्थल पर भक्तों ने भगवान की आरती उतारी और गणपति बप्पा मोरेया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोष के साथ विसर्जन किया ।

भक्ति मय हुआ माहौल

मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ.. मंगल मूर्ति मोरया रे.. देवा हो देवा जैसे भक्तिपूर्ण भजनों के बीच गणपति की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। अबीर-गुलाल और रंगों से होली खेलते टोलियां ने गरबा खेलते हुए खुशी व्यक्त की । इस दौरान महिलाएं छोटे बच्चों सहित पुरुषों ने ढोल की थाप पर गरबा नृत्य करते हुए भगवान गणपति के प्रति अपनी आस्था प्रकट की।

होटल एसोसिएशन की वार्षिक पिकनिक

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट.उदयपुर। होटल एसोसिएशन सचिव उषा शर्मा ने बताया होटल एसोसिएशन की वार्षिक पिकनिक झाड़ोल स्थित झाडोल बाग पर संपन्न हुई। सपरिवार सदस्यों ने पिकनिक में भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न गेम्स आयोजित किए गए। सरप्राइज गिफ्ट में चंद्र प्रकाश अग्रवाल कन्हैया मूंदड़ा पलक गुप्ता ,पार्सल द पासिंग गेम्स में यशवर्धन सिंह राणावत कृष्णवीर सिंह शिशु मित्र , स्टेशन गेम्स में कनक मेहता रागिनी अग्रवाल धरा मेहता, ग्रुप गेम्स में अनिक मुंद्रडा रेनू चैधरी शीतल मेहता, चेयर रेस में नीतू पोरवाल रागिनी अग्रवाल नीरज मित्तल, लक बाय चांस में प्रकाश चंद्र अग्रवाल गुंजन वैष्णव विजयी रहे। सभी विजेता प्रतिभागियों को होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों द्वारा पुरस्कार दिए गए। एसोसिएशन अध्यक्ष सुदर्शन देव सिंह कारोही ने बताया होटल एसोसिएशन के लगभग 53 वर्ष हो गए हैं इस अवसर पर होटल एसोसिएशन द्वारा 53 वृक्षों को लगाया गया। अध्यक्ष सुदर्शन देव सिंह ने कहा इस अवसर पर पर्यटन संबंधी चर्चा भी की गई। आगामी समय में होटल एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह, स्थापना दिवस, डोमेस्टिक टूर सहित कई कार्य किए जाएंगे। सरकार का सहयोग लेकर मेवाड़ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। इसी के साथ होटल एसोसिएशन सदस्यों की समस्याओं के समाधान के लिए भी निरंतर रूप से तत्पर रहकर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सुवालका मनीष गलुनडिया भगवान वैष्णव धीरज दोषी का ऊपरना ओढ़ा कर स्वागत किया गया। वरिष्ठ सदस्य अजय सिंह बोहेड़ा होटल एसोसिएशन वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल उपाध्यक्ष यशवर्धन राणावत नरेश भादविया गौरव कोठारी मनदीप सिंह चैहान जॉय सुवालका तेजेंद्र सिंह रोबिन निखिल दोषी अजय सिंह कृष्णावत सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

धरोहर राशि लौटाने की पहल खुद क्यों नहीं कर रहा एवीवीएनएल, मूल रसीद मांगकर लोगों को दे रहा चक्कर, 24 न्यूज अपडेट में खबर छपने के बाद 50 रूपए के स्टाम्प पर लौटाने को हुआ राजी,जागो ग्राहक-जागो

रिपोर्ट-जयवंत भैरविया

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट.उदयपुर। उदयपुर में 35,633 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिजली का कनेक्शन स्थाई रूप से कटवा लिया है। इनमें से अधिकांश उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें जानकारी के अभाव में अपनी धरोहर राशि वापस नहीं मिली है। कइयों ने प्रयास भी किया लेकिन एवीवीएनएल ने मूल रसीद के अभाव में ये राशि लौटाने से मना कर दिया। एवीवीएनएल उदयपुर के सभी उपखंड कार्यालयों में कुल धरोहर राशि के आँकड़े चोंकाने वाले हैं। ये राशि लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है और एवीवीएनएल द्वारा आरटीआई में दी गई सूचना के अनुसार ये कुल राशि 63,25,85,141 रुपये है। एवीवीएनएल इतनी बड़ी राशि का ब्याज खा रहा है और डकार तक नहीं ले रहा है। अफसरों की मिलीभगत और नेताओं की बेरूखी के चलते यह खेल चल रहा है। वरना जनता जागरूक हो तो यह पैसा ब्याज सहित वापस करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जब कोई उपभोक्ता अपना विधूत कनेक्शन कटवा लेता है तो उसे उसकी धरोहर राशि वापस लौटाना एवीवीएनएल की जिम्मेदारी है लेकिन एवीवीएनएल नहीं चाहता कि उपभोक्ताओं को उसकी राशि पुनः लौटाई जाए क्योंकि यदि ऐसा होता तो एवीवीएनएल के पास इतनी बड़ी राशि जमा नही होती उदाहरण के रूप में एवीवीएनएल के गुलाबबाग पॉवर हॉउस के पास 87 लाख रुपए जमा है, हिरणमगरी पॉवर हाउस के पास 33,94,061 रुपये जमा है, ऐसे ही अशोकनगर स्थित पॉवर हॉउस के पास 94.25 लाख की राशि है जो उन उपभोक्ताओं को पुनः लौटाई जानी थी जिन्होंने स्थाई रूप से अपने कनेक्शन कटवा लिए है। डिजिटल युग मे जब हर व्यक्ति गैस सिलेंडर अपने मोबाइल से बुकिंग करवाता है, पानी बिजली के बिल भी यू पी आई के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाता है।ऐसे हर उपभोक्ता का मोबाईल नम्बर आधार कार्ड, पेन कार्ड और बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। कई वर्षों तक बिजली का बिल भरने वाला उपभोक्ता एवीवीएनएल के लिये कोई अनजान व्यक्ति नही होता, ऐसा भी नही है कि एवीवीएनए को उपभोक्ता की धरोहर राशि की जानकारी न हो लेकिन फिर भी एवीवीएनएल इस धरोहर राशि को नही वापस नही लौटा कुंडली मारकर बैठा है और उस धरोहर राशि पर ब्याज अलग कमा रहा है, यदि एवीवीएनएल की अब तक नियत साफ होती तो कनेक्शन काटे जाने के बाद धरोहर राशि उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती। न्यूज 24 अपडेट्स में हुए खुलासों के बाद ए वी वी एन एल अब बैकफुट पर आ गया है और जिन उपभोक्ताओं की मूल रसीद गुम हो चुकी है उनकी धरोहर राशि को लोटाने के लिये 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र की मांग कर रहा है। उदयपुर के जिन भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटवाये जाने के बाद धरोहर राशि बकाया है अब वे एवीवीएनएल से अपनी राशि शपथ पत्र प्रस्तुत कर वापस पा सकते हैं।

भारत को गर्व है कि हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैं : कवि सुनील पटेल

24 न्यूज अपडेट

सलूंबर। गणपति महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को झाड़ोल में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन गणपति पंडाल में आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन में मां कुलदेवी नवयुवक मंडल गतोड़िया मोहल्ला झाड़ोल द्वारा आमंत्रित कवियों एवं अतिथियों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कवि भरत मीणा खेरवाडा ने फिजा में पश्चिमी हवा, चल पड़ी है कुछ बरसों से। संस्कार खंड-खंड हो रहे, जो शान थे हमारे अरसों से। माना जमाना नया,विचार नए,सपने नए इश्क,इजहार,तकरार वाजिब हैं पर ये नादानी,नासमझी, बीच बाज़ार में, गैर वाजिब हैं प्रतिनिधि कविता सुनाई। कवि छत्रपाल शिवाजी ने कभी यहां पर कभी वहां पर, जीवन बहती धारा है कभी भँवर में अटकी साँसें, मिलता कभी किनारा है। कविता के इस महायज्ञ में, खुद को होम दिया हमने, इश्क किया है सिर्फ कलम से, हम आशिक बंजारा हैं रचना पढ़ी तो लोग दाद देते रहे रचना सुनाई तो जोश में वक़्त ठहर सा गया। रचनाधर्मियों के काव्य पाठ जैसे-जैसे परवान चढ़े श्रोता भी उनकी फुहार में भीगते रहे। संयोजक कवि सुनील पटेल सन्नाटा नेजपुर ने भारत को गर्व है कि हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैं। न भूखा सो सके भारत यही सपना किसानों का कविता के माध्यम से किसानों की दर्द बयानी की। देर रात तक गीतों, गजलों ओज की कविताओं व हास्य-व्यंग्य के ठहाकों के बीच श्रोता झूमतें रहे। कवि गोपाल सेवक ने "टीवी नो असर मारी पत्नी माते पड्यो एवो जोरदार, टीवी ना चक्कर में भूली जाए " रचना पढ़कर सामाजिक जीवन पर टीवी के प्रभाव को रेखांकित किया। सुरेश सरगम फलोज ने आज भी भारतीय संस्कृति में करवा चौथ ही स्त्री के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार है रचना पढ़कर भारतीय संस्कृति व संस्कारों का वर्णन किया। प्राची पाठक बांसवाड़ा ने माँ का दुलार बाबा का अभिमान बेटियाँ, होती है अपने घर की तो शान बेटियाँ कविता सुनाई। कवि दिनेश पंछी ने आम काट के बबूल ही बोया फिर काहे को रो रिया, गणपति बाप्पा मोरिया देखो क्या क्या हो रिया गजल सुनाई। इस दौरान नवयुवक मंडल के भरत पटेल व सुरेश पटेल ने आभार जताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के निमित्त 101 यूनिट रक्तदान

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट.उदयपुर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन अवसर पर सेवा पखवाड़े के निमित 101 यूनिट रक्तविरो ने रक्तदान किया।। भारतीय जनता युवा मोर्चा, एवम्स तेरापंथ युवक परिषद, उदयपुर के सयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, उपमहापौर पारस सिंघवी, भाजपा जिला महामंत्री किरण जैन, जिला उपाध्यक्ष प्रेमसिंह शक्तवत, अतुल चंडालिया, जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी, करण सिंह, अमृत मेनारिया, सुभाषिनी शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता मांडावत, प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक मोहित सनाढ्य, युवा मोर्चा जिला महामंत्री रणजीत दिगपाल, हिमांशु बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष डॉ. ओम पारीक, सतीश शर्मा, श्याम शर्मा, ध्रुव श्रीमाली,मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह, सुनील चौधरी, सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा नेता तुषार मेहता, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद उदयपुर के अध्यक्ष भूपेश खमेसरा, मंत्री साजन मंडोत, उपाध्यक्ष अशोक चोरड़िया, महेंद्र बोहरा, सह मंत्री गौरव लोढ़ा, विनीत फुलफगर, सभा अध्यक्ष कमल नहाता, मंत्री अभिषेक पोखरना,मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय के छात्र नेता, आदि पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओ ने रक्तदान शिविर में भाग लिया।

सेक्टर-11 जैन मंदिर के पास झपट्टा मार बुजुर्ग महिला की चेन तोड़ी, सीसीटीवी में दिखे दो बदमाश

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। उदयपुर शहर में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं जो पुलिस के कम होते डर को साफ इंगित कर रहा है। लगातार चेन तोड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुनसान सड़कों पर जाती हुई महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। सवीना थाना क्षेत्र में मंगलवार को दो बदमाश दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना सेक्टर-11 में जैन मंदिर के पास हुई। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला माया देवी मंदिर के सामने रोड से पैदल जा रही थी। तभी एक बदमाश सामने से फोन पर बात करते हुए आया। उसने पहले महिला को क्रॉस किया व उसके बाद धीरे से पीछे से मुड़कर आया। उसके बाद अचानक गले में झपट्टा मारकर सोने की चेन छीन ली। इस बीच दूसरे बदमाश ने जो पहले से ताक में था, उसने मोटर साइकिल को ऑन किया और उसके पास आते ही बदमाश लपकते हुए बाइक पर बैठ कर भाग छूटा। दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। चेन खींचने के बाद महिला सड़क पर गिर गई, आस पास के श्वान महिला के पास आ गए। जब वह चिल्लाने लगी तो तभी आसपास लोग आए। कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा किया लेकिन वे फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।